न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 49/2022

वादीनी — बनाम — प्रतिवादीगण

श्रीमती लीला चारण पत्नि शंकरदान
जाति चारण
निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1. अशोक कुमार पुत्र अम्बाराम
2. दुर्गेश पुत्र अम्बाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बेरा जोड़ों वाला काकराला रोड़ पारलू तहसील पचपदरा
3. जवाहराराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चौधरी
4. श्रीमती राधादेवी पत्नि जवाहराराम पुत्रवधु पेमाराम जति कलबी चौधरी निवासी बेरा निम्बड़ीया,कीटनोद तहसील पचपदरा
5. लूम्बाराम पुत्र अमराराम जाति कलबी चौधरी
6. राणाराम पुत्र अमराराम जाति कलबी चौधरी निवासी बेरा भड़लों वाला पारलू तहसील पचपदरा
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 16.08.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा होटलू तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 422/239 रकबा 09.15 बीघा भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 13.09.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादीनी का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से [illegible] जाकर सरहद मौजा होटलू तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 422/239 रकबा 09.15 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी वकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गाव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	कब्जा
1	लीला चारण पत्नी शंकरदान चारण सा. बालोतरा खातेदार	होटलू	422/239	0.2428	बा.अ.	–	नक्शा में दर्शित अनुसार
2	अशोककुमार दुर्गेश पि. अम्बाराम कलबी सा. पारलू खातेदार	होटलू	422/239	0.6880	बा.अ.	–	नक्शा में दर्शित अनुसार
3	जवाहरराम पुत्र पेमाराम राधादेवी पत्नी जवाहरराम हि. 1/2 कलबी सा. कीटनोद राणाराम लूम्बाराम पि.अमराराम हि. 1/2 कलबी पारलू ,खातेदार	होटलू	422/239	0.6475	बा.अ.	–	नक्शा में दर्शित अनुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:46 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– श्री राजेशकुमार,आर.ए.एस.

अनवान

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती लीला चारण पत्नि शंकरदान जाति चारण निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1. अशोक कुमार पुत्र अम्बाराम 2. दुर्गेश पुत्र अम्बाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बेरा जोड़ी वाला काकराला रोड़ पारलू तहसील पचपदरा 3. जवाहराराम पुत्र पेमाराम जाति कलबी चौधरी 4. श्रीमती राधादेवी पत्नि जवाहराराम पुत्रवधू पेमाराम जाति कलबी चौधरी निवासी बेरा निम्बड़ीया,कीटनोद तहसील पचपदरा 5. लुम्बाराम पुत्र अमराराम जाति कलबी चौधरी 6. राणाराम पुत्र अमराराम जाति कलबी चौधरी निवासी बेरा मड़लों वाला पारलू तहसील पचपदरा 7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:–53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 49 / 2022
निर्णय दिनांक :– 16.08.2023

वादीनी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 16.08.2023 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**–वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.08..2023 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.08..2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा [illegible] दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:46 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	------	5.आदेशिका की तामील	------
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	------

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:12:46 IST
Reason: SelfAttested